

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 12/01/2026 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री दीन बंधु सिंह, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 12/01/2026 को अपराह्न 04:00 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वाणिज्य विभाग के नॉमिनी, 23/09/2008 के पत्र के अनुसार)।
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान सर्वश्री (i) किरण मोहन मोहाडीकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) आमिर इकबाल, सहायक विकास आयुक्त, (iv) चन्द्र प्रकाश, जे.ई. यूपीपीसीबी, नोएडा, (v) भारत भूषण, सहायक और (vi) संजीव छाबरा, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एनएसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 22/12/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 22/12/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ और न ही कोई आपत्ति प्राप्त हुई है। अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 22/12/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) ओडिन डिजिटल सॉल्यूशंस एलएलपी - एनएसईजेड में नई इकाई स्थापित करना।

2.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री ऋषि वर्मा, श्री राजत वर्मा, श्री प्रदीप त्यागी एवं श्री ताहिर हसन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.2 यह सूचित किया गया कि आवेदक ने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहा है कि प्रस्तावित प्रक्रिया से कोई खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा, जिस पर विचार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त,

प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए फंड के स्रोत को भी आवेदक द्वारा विस्तार से स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

2.3 श्री ऋषि वर्मा ने सूचित किया कि वे केवल खराब पाटर्स को प्रतिस्थापित करेंगे और कोई अन्य प्रक्रिया नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इकाई को अपने व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व यूपीपीसीबी से पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

2.4 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को स्थगित कर दिया तथा आवेदक को निर्देश दिया कि वह संशोधित प्रोसेस फ्लो चार्ट, उत्पन्न अपशिष्ट जिसमें प्रतिस्थापित होने वाले खराब पाटर्स शामिल हों तथा उनका निपटान कैसे एवं कहाँ किया जाएगा और प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत फंड के स्रोत का विवरण जमा करे।

(3) डायसप्रो इंटेक प्राइवेट लिमिटेड – एनएसईजेड में नई इकाई स्थापित करना।

3.1 श्री राकेश मल्होत्रा (सीईओ) एवं श्री शिवाल (निदेशक) अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स डायसप्रो इंटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों के लिए एनएसईजेड में इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया, बशर्ते विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों के लिए अलग-अलग खाते रखे जाएं।

(4) नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड – एनएसईजेड में इकाई स्थापित करना।

4.1 यह सूचित किया गया कि हाल ही में मैसर्स नारायण एक्सपोर्टर्स ने 'नारायण एक्सपोर्टर्स (एक साझेदारी फर्म)' से "नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड (एक पब्लिक कंपनी)" में नाम/संरचना में परिवर्तन सहित एलओए हस्तांतरण का अनुरोध किया था। अनुमोदन समिति ने 08.12.2025 को आयोजित बैठक में देखा कि एसईजेड नियमों में एलओए हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है तथा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा मैसर्स नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड को निर्देश दिया कि वे पहले नई इकाई के लिए आवेदन करें तथा उसके पश्चात् विद्यमान इकाई नियम 74ए के तहत संपत्ति एवं दायित्वों के हस्तांतरण के लिए आवेदन करें।

4.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड के एनएसईजेड में प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया।

(5) एम्पैथी डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड – एनएसईजेड में नई इकाई स्थापित करना।

5.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स एम्पैथी डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एनएसईजेड में प्रस्तावित विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों के लिए इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया, बशर्ते विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों के लिए अलग-अलग खाते रखे जाएं।

(6) नोवेंटिक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – एलओए का नवीनीकरण एवं प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड)(iii) का उल्लंघन करने के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसी बीच, चूंकि इकाई का एलओए केवल 31.01.2026 तक वैध है, अनुमोदन समिति ने एलओए को एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.01.2027 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया ताकि इकाई का कार्य बाधित ना हो।

(7) पॉपुलर कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड – कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन।

7.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक में परिवर्तन को संज्ञान में लिया।

(8) आप की पसंद – एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव।

8.1 श्री निखिल कपूर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकृत कर दिया कि विनिर्माण एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग खाते रखे जाएं।

(9) लिस्टर मोएसनर (आई) प्राइवेट लिमिटेड – (i) प्रदर्शन की निगरानी एवं (ii) एसईजेड योजना से अंतिम विकास का अनुरोध एवं प्लॉट नंबर 124, एनएसईजेड स्थित भवन सहित संपत्ति एवं दायित्वों का मैसर्स क्रॉफ्टिन इंटरनेशनल एलएलपी को हस्तांतरण।

9.1 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की तथा 08.12.2025 तक प्रस्तुत एपीआर के आधार पर छठे ब्लॉक में 5549.14 लाख रुपये एवं सातवें ब्लॉक में 2640.90 लाख रुपये की सकारात्मक एनएफई आय अर्जन होने को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि कोई विदेशी मुद्रा प्रत्यक्षण के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

9.2 यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति ने 09/06/2025 को आयोजित बैठक में मैसर्स लिस्टर मोएसनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को के विकास एवं प्लॉट नंबर 124, एनएसईजेड स्थित भवन सहित संपत्ति एवं दायित्वों को मैसर्स क्रॉफ्टिन इंटरनेशनल एलएलपी को हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। यह अनुमोदन (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा विकास औपचारिकताओं की पूर्ति, (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क के भुगतान एवं (iii) ग्राही द्वारा संपत्ति एवं दायित्वों को ग्रहण करने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अधीन था। नियम 74/74ए के तहत विकास एवं संपत्ति एवं दायित्वों के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.06.2025 द्वारा इकाई को जारी की गई थी। अब, इकाई ने विकास औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं तथा ग्राही ने भी हस्तांतरणकर्ता की संपत्ति एवं दायित्वों को ग्रहण करने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

9.3 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार मैसर्स लिस्टर मोएसनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विकास

एवं प्लॉट नंबर 124, एनएसईजेड पर स्थित भवन सहित संपत्ति एवं दायित्वों के मैसर्स क्रॉफ्टिन इंटरनेशनल एलएलपी को हस्तांतरण के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

(10) भयानी प्लास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – प्रदर्शन की निगरानी।

10.1 अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई द्वारा 2016-17 से कोई निर्यात नहीं किया गया है। सूचित किया गया कि इकाई ने एलओए नवीनीकरण के सापेक्ष ना तो स्वीकृति पत्र जमा की है ना ही बांड-कम-एल्यूटी निष्पादित किया है, जो दिनांक 30.10.2023 के एलओए नवीनीकरण पत्र की शर्तों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, इकाई एपीआर भी प्रस्तुत नहीं कर रही है तथा वर्तमान में 2022-23 से एपीआर लंबित हैं। यह एसईजेड नियम, 2006 के नियम 22(3) एवं बांड-कम-एल्यूटी की शर्त संख्या 7 का उल्लंघन है।

10.2 एनएसईजेड के ईएम अनुभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि इकाई पट्टा किराया नियमित रूप से जमा नहीं कर रही है तथा पंजीकृत पट्टा दस्तावेज की निम्नलिखित शर्तों का उल्लंघन कर रही है:

- i. "2(ए) इस एग्रीमेंट में तय की गई अवधि के दौरान, सब-लेसर को बताया गया किराया और अन्य सभी चार्ज देने होंगे, जो समय-समय पर चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नोएडा SEZ अथॉरिटी, (जिन्हें इसके बाद चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाएगा) द्वारा तय किए जा सकते हैं, और यह पेमेंट तय समय पर, तय दिनों पर और बताए गए तरीके से, बिना किसी कटौती के किया जाएगा।"
- ii. "2(ई) उक्त अवधि के दौरान, चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नोएडा SEZ अथॉरिटी द्वारा समय-समय पर अधिकृत किए गए प्रोडक्ट्स का निर्माण करने पर सहमति हुई है।"

10.3 एनएसईजेड प्राधिकरण ने एसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 8(xii) के अनुसार, इकाई द्वारा पट्टा दस्तावेज की शर्तों के उल्लंघन के लिए एसईजेड अधिनियम/नियमों एवं एफटी(डी एंड आर) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इकाई का एलओए रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

10.4 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि SEZ एक्ट, 2005 की धारा 16 के तहत उनका LOA क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए और FT(D&R) एक्ट, 1992 के तहत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

(11) ट्रॉय एक्सिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – एनएसईजेड में इकाई स्थापित करना।

11.1 अनुमोदन समिति ने देखा कि आवेदक ने आईटीसी एचएस अध्याय 22, 24, 31, 33 के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार एवं भंडारण का प्रस्ताव दिया है तथा अधिकांश वस्तुएं संवेदनशील प्रकृति की या

प्रतिबंधित/चैनलाइज्ड हैं। अतः इन प्रत्येक उत्पाद के लिए आवेदक को विस्तृत व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, शराब से संबंधित विस्तृत प्रक्रियाओं को भी प्रस्तुत करना होगा।

11.2 देखा गया कि आवेदक ने पांच वर्ष की अवधि में प्लांट एवं मशीनरी में 2.25 करोड़ रुपये एवं कच्चे माल में 179.81 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया है जबकि कुल धन 6.27 करोड़ रुपये दिखाया गया है, जिसमें पंजाब, जालंधर की मैसर्स एसजी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्वीकृत 2.50 करोड़ रुपये का ऋण विशेष रूप से व्यवसायिक उद्देश्य के लिए संपत्ति खरीद के लिए है। अतः केवल 3.77 करोड़ रुपये के धन उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित लागत एवं वास्तविक उपलब्ध धन के बीच बड़ा अंतर है।

11.3 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को स्थगित कर दिया तथा आवेदक को निर्देश दिया कि वह एक डिटैल्ड बिजनेस प्लान सबमिट करे, जिसमें हर आइटम के लिए खरीद का सोर्स और एक्सपोर्ट/बिक्री की जगह, साथ ही हर आइटम के संबंध में शामिल/किए जाने वाले प्रोसेस और प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए फंड के डिटैल्ड सोर्स का जिक्र हो।

(12) एएफ फेरारी सिक्वोर लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड – एनएसईजेड में इकाई स्थापित करना।

12.1 अनुमोदन समिति ने देखा कि आवेदक को पूर्व में दिनांक 06.05.2021 को एलओए जारी किया गया था। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने 06/04/2021 और 21/05/2021 को हुई अपनी मीटिंग्स में "कीमती धातुओं वाले सामान की वेयरहाउसिंग" के लिए इकाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इस ऑफिस के पत्र दिनांक 02/08/2023 के ज़रिए, उन्हें सूचित किया गया था कि अगर वे उक्त फैसलों से असंतुष्ट हैं, तो वे उक्त फैसलों के खिलाफ BOA के सामने अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा, इस ऑफिस के पत्र दिनांक 13/08/2024 के ज़रिए, SEZ रूल्स, 2006 के नियम 19(5) के तहत इकाई का LOA लैप्स मान लिया गया था।

12.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक ने फिर से वैसी ही एक्टिविटीज़ के लिए नई यूनिट के लिए अप्लाई किया है, जिसे पहले कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि एनएसईजेड कस्टम्स ने भी उच्च राजस्व प्रभाव के कारण दुरुपयोग/विवर्तन की संभावना वाली संवेदनशील वस्तुओं के संबंध में आपत्ति दर्ज की है।

12.3 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया कि जब इस प्रस्ताव को पहले UAC ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसने इसी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए नया आवेदन क्यों जमा किया।

13. ऑनसिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (भंडारण इकाई) – (क) एलओए में शराब का एफटीडब्ल्यूजेड से डीटीए में लागू शुल्क भुगतान पर रिलीज की अनुमति समावेश का अनुरोध एवं (ख) एचएसएन 93040000 (0.177 बोर एयर गन्स एवं 0.177 कैल 4.5 मिमी संपीडित एयर पिस्टल्स) के तहत उत्पादों को भंडारित करने हेतु एक क्लायंट को ऑनबोर्डिंग की अनुमति।

13.1 DTA में शराब बेचने के प्रस्ताव के संबंध में, अप्रूवल कमेटी ने पाया कि 15.07.2025 को हुई UAC की पिछली मीटिंग में, यूनिट ने बताया था कि उनके पास लॉजिस्टिक ऑपरेटर के लिए AEO सर्टिफिकेट है और उत्तर प्रदेश के स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से DTA में ऐसी खेप को वेयरहाउस करने और सप्लाई करने की खास इजाजत है। UAC ने AEO सर्टिफिकेट, स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट और UP एक्साइज परमिशन की कॉपी जमा करने की शर्त पर सैद्धांतिक मंजूरी दी। यूनिट ने AEO और स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट तो जमा कर दिए, लेकिन एक्साइज परमिशन के बजाय, VAT रजिस्ट्रेशन की कॉपी दी और अनुरोध किया कि इसे UP एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन मान लिया जाए। यह UAC मीटिंग के दौरान यूनिट के बयान और बाद में जमा किए गए दस्तावेजों के बीच अंतर दिखाता है।

13.2 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, यूपी आबकारी विभाग से निम्नलिखित पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया:

- (i) डीटीए में बिक्री हेतु शराब के भंडारण के लिए एसईजेड इकाई को यूपी आबकारी विभाग से आवश्यक अनुमति/लाइसेंस तथा डीटीए स्थित वास्तविक आयातक या खरीदार को आवश्यक अनुमतियां।
- (ii) एसईजेड इकाई तथा उसके क्लायंट्स के लिए ऐसी लेन-देन हेतु लागू अन्य प्रक्रियाएं एवं अनुपालन भी मांगे जाएं।
- (iii) क्या अन्य राज्यों में आपूर्ति हेतु संबंधित राज्य आबकारी विभाग से उपरोक्त अनुमतियां आवश्यक हैं अर्थात् अनुमतियां राज्य-विशिष्ट हैं या यूपी आबकारी की अनुमति पर्याप्त है?

13.3 अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई से यूपी आबकारी विभाग से अनुमति होने संबंधी उनके कथनों में भिन्नता पर स्पष्टीकरण मांगा जाए।

13.4 एयर गन की वेयरहाउसिंग के प्रस्ताव के संबंध में, अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई ने आर्म्स अधिनियम, 1959 एवं आर्म्स नियम, 2016 के तहत आनंद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके क्लायंट मैसर्स एम.ए. ग्लोबल को गुजरात के आनंद स्थित दुकान पते पर व्यापार या व्यवसाय करने हेतु जारी 'अथॉराइज्ड आर्म्स एंड अम्युनिशन डीलर लाइसेंस' की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, "लाइसेंस तभी वैध है जब तक लाइसेंसधारी स्तंभ (3) में दर्शित परिसर अर्थात् आनंद, गुजरात पर व्यापार या व्यवसाय करता रहे।"

13.5 अनुमोदन समिति ने देखा कि प्रस्ताव की आगे जांच आवश्यक है ताकि निर्धारित किया जा सके कि क्या एसईजेड इकाई तथा वास्तविक आयातक (क्लायंट) को एसईजेड परिसर में एयर गन्स के भंडारण/वारहाउसिंग हेतु आर्म्स अधिनियम, 1959 एवं आर्म्स नियम, 1962 के प्रावधानों के तहत कोई विशिष्ट अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करने की ज़रूरत है या नहीं।

13.6 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, मामले की विस्तृत जांच करने तथा आवश्यकतानुसार वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया।

14. ट्राइडेंट कॉर्प. - एलओए में अध्याय 2203-2206, 2208 एवं 2209 के तहत शराब के भंडारण का समावेश।

14.1 अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई ने प्रारंभ में डीटीए बिक्री, निर्यात एवं इयूटी फ्री शॉप्स/बॉन्डेड वेयरहाउस को बिक्री हेतु शराब के भंडारण हेतु आवेदन किया था। अनुमोदन समिति ने 22.09.2025 को आयोजित बैठक में उच्च शुल्क, डीटीए बिक्री संबंधी मूल्यांकन चुनौतियां एवं डायवर्जन के खतरे को ध्यान में रखते हुए इकाई से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। अब, इकाई ने केवल निर्यात हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। हालांकि, स्पष्ट नहीं है कि इकाई ने पिछला आवेदन वापस ले लिया है या नहीं।

14.2 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा पूर्व प्रस्ताव वापसी की स्थिति मांगने का निर्देश दिया। इसके अलावा शामिल/किए जाने वाले प्रोसेस सहित विस्तृत व्यावसायिक योजना के साथ स्पष्ट और नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(पारस मणि त्रिपाठी)
संयुक्त विकास आयुक्त



(दीन बंधु सिंह)
विकास आयुक्त